

दो फरवरी 2021 को महिला से किराये को लेकर विवाद होने पर महिला की हत्या कर दी बैंगलोर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार | हिन्दुस्तान संवाद

बैंगलोर में मकान मालकिन की हत्या कर फरार श्रावस्ती के आरोपी को मल्होपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 72 घंटे के ट्रिजिस्ट रिमांड के लिए न्यायालय भेज दिया गया है।

मल्होपुर धाना क्षेत्र के ग्राम पटपरगंज निवासी इब्राहिम खां पुत्र शकूर खां कर्नाटक राज्य के बैंगलोर में कमाने गया था। वह अन्य तीन साथियों के साथ वीवी पुरम में सेवानिवृत्त डिप्टी तहसीलदार राजश्वरी देवी के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता था। दो फरवरी 2021 को महिला से किराये को लेकर विवाद हो गया था। इस पर इब्राहिम अपने तीन और साथियों के साथ मिलकर तीन फरवरी 2021 को महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपियों ने शव

सफलता

- आरोपी अपने तीन साथियों के साथ बैंगलोर कमाने गया था
- आरोपी अपने तीन साथियों के वीवीपुरम में सेवानिवृत्त डिप्टी तहसीलदार के घर में रहता था

को ले जाकर जला दिया। इसके बाद 450 ग्राम सोना, रुपये व अन्य सामान लेकर आरोपी फरार हो गए। हत्या के मामले में बैंगलोर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इब्राहिम वहां से अपने गांव पटपरगंज चला गया।

बैंगलोर पुलिस हत्या के वांछित आरोपी की तलाश करते हुए श्रावस्ती पहुंच गई। शनिवार को वीवीपुर थाने के उपनिरीक्षक सतीश कुमार आरक्षी



शनिवार को मल्होपुर पुलिस के हत्ये घड़ा बैंगलोर में हत्या करने का आरोपी

मोतूरज के साथ मल्होपुर थाने पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक दहन सिंह को घटना की जानकारी दी। दहन सिंह ने उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद टीम

के साथ आरोपी इब्राहिम को मिर्जापुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 72 घंटे के ट्रिजिस्ट रिमांड के लिए न्यायालय भेज दिया गया।

श्रावस्ती पालिस